



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/4/2017/एफ.सी. 1560

दिनांक: 21-3-17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : जनपद बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि0, ए-5 सेक्टर-3, नोएडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम दादरा तहसील नवाबगंज के गाटा संख्या-909, एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40-41 के मध्य बांयी पटरी पर रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-393/14-2-2017-800(181)2016, दिनांक- 07.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-179/14-2-2016-800(181)2016, दिनांक- 03.01.2017 का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 12.01.2017 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि0, ए-5 सेक्टर-3, नोएडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम दादरा तहसील नवाबगंज के गाटा संख्या-909, एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40-41 के मध्य बांयी पटरी पर रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

[Signature]
20/3/17

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (733.60 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
5. राज्य सरकार वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की Original Hard Copy उपलब्ध करवाएगी तथा वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र को सभी संलग्नकों के साथ पैरा- "K" Part-I, Online पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी, उ0 प्र0।
5. डिवीजनल मैनेजर (यू0पी0-सी), एस्सार ऑयल लि0, 315, 316 टी0सी0/जी-2/2 एवं टीसी/जी-5, तृतीय तल साइबर हाइट्स, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}